


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के लिए आहरण वितरण अधिकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 (ए) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे, में निम्नांकित आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	जारी आदेश की दिनांक	जारी आदेश की क्र.सं	जारी आदेश की कॉलम संख्या	संशोधन
1	28.01.2019	11	3	श्री विनोद कुमार, व्या. राउमावि 4 केपीडी, घड़साना, श्रीगंगानगर के स्थान पर श्री विनोद कुमार, व्या. राउमावि रावलामण्डी, श्रीगंगानगर संशोधित पढा जावे ।

शेष विवरण मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगे ।


  
वित्तीय सलाहकार,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/संशोधन/18-19

दिनांक : 01.03.2019

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी, 1/2019  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

1	प्रधानाचार्य, राउमावि जिजोट, कुचामनसिटी, नागौर	श्री बजरंग लाल लोरा, व्या. राउमावि जिजोट, कुचामनसिटी, नागौर	कुचामनसिटी
2	प्रधानाचार्य, राआउमावि कोरा, जालोर	श्री मनोज कुमार मीणा, व्या. राआउमावि कोरा, जालोर	भीनमाल



वित्तीय सलाहकार,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक: 01.03.2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/18-19/

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



वरिष्ठ लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर